

पत्रांक: जी.एस.टी./2018-19/ 1819013 /

238 /वाणिज्य कर

कार्यालय:- कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: अप्रैल, 2018

28-5-2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉर्पोरेट सर्किल),  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स ऑडिट),  
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण),  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण),  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), वाणिज्य कर।

**विषय:- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-54(3) के तृतीय परन्तुक के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी संस्करण में धारा-54(3) का तृतीय परन्तुक निम्नवत् है-

“Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.”

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के हिन्दी संस्करण में धारा-54(3) का तृतीय परन्तुक निम्नवत् है-

“परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के सम्बन्ध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।”

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश एस.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में धारा-54(3) के तृतीय परन्तुक में भिन्नता है। हैण्डिक्राफ्ट एसोसिएशन आगरा द्वारा मुख्यालय के सञ्ज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि इस भिन्नता के कारण Duty drawback प्राप्त करने वाले निर्यातकों को एस.जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट का रिफण्ड नहीं हो पा रहा है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं०- 37/11/2018-GST दिनांक 15.03.2018 द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गयी है-

“It is further clarified that refund of eligible credit on account of State tax shall be available even if the supplier of goods or services or both has availed of drawback in respect of central tax.”

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.03.2018 में अंकित स्पष्टीकरण से यह स्वतः स्पष्ट है कि Duty drawback का सम्बन्ध केन्द्रीय कर से है तथा किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा Duty drawback लिये जाने की दशा में भी नियमानुसार अनुमन्य एस.जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट का रिफण्ड देय होगा। मुख्यालय के परिपत्र सं०- जी.एस.टी./2017-18/1819003/66/वाणिज्य कर दिनांक 16.04.2018 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं०- 37/11/2018 जी.एस.टी. दिनांक 15.03.2018 में अंकित तथ्यों को प्रसारित करते हुए रिफण्ड प्रक्रिया के सम्बन्ध में तदनुरूप अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्देशित किया जाता है कि निर्यातकों के मामले में Duty drawback प्राप्त करने के आधार पर नियमानुसार देय एस.जी.एस.टी. क्रेडिट का रिफण्ड न रोका जाये।

१६  
28/5/18  
(कामिनी चौहान रतन)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।